## फार्म 3 FORM 3

नियम 54(12) देखें See Rule 54(12)

## परिवार का विवरण DETAILS OF FAMILY

1. सरकारी कर्मचारी का नाम

Name of the Government servant :

2. पदनाम/Designation :

3. जन्मतिथि/Date of Birth

4. नियुक्ति की तिथि/Date of appointment

5. मेरे परिवार\* के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है Details of the members of my family\* as on

- <del>-</del> -	*	जन्म तिथि	अधिकारी के	कार्यालयाध्यक्ष	370 <del>716-771</del>
क्र.सं.	परिवार* के सदस्यों का नाम			कायालयाध्यक्ष	अभ्युक्तियाँ
Sl.No	Name of the member of the	Date of Birth	साथ संबंध	का आद्यक्षर	Remarks
	family*		Relationship	InitialS of the	
			with the Officer	Head of office	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
0.					
7.					
8.					

में एतद्दारा वचन देता/देती हूँ कि उपर्युक्त विवरण में किसी भी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन की सूचना कार्यालयाध्यक्ष को देकर उक्त विवरण को अद्यतन बनाए रखूँगा/रखूंगी ।

I hereby undertake to keep the above particulars upto date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

स्थान सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर Place: Signature of the Govt. Servant दिनांक

Dated the

\*इस प्रयोजन हेतु परिवार का अर्थ

\*Family for this purpose means:

(क) पुरूष सरकारी कर्मचारी के मामले में पत्नी ।

Wife in the case of male Govt. servant

(ख) महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में पित ।

Husband in the case of female Govt. servant

(ग) अठारह वर्ष से कम उम्र के बेटे व 20 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित बेटी/बेटियाँ सेवा निवृति से पूर्व कानूनी रूप से गोद लिए गए एक वर्ष के दत्तक बेटे या बेटी को भी शामिल किया जा सकता है। Sons below eighteen years of age and unmarried daughter below 20 years. One year of age including such son or daughter

adopted legally before retirement. नोट :- पति तथा पत्नी क्रमश: न्यायिक रूप से पृथक पत्नी तथा पति को शामिल कर सकते हैं।

Note: - Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.